न्यायालय:--न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, आमला (म०प्र०) (पीठासीन अधिकारी-धन कुमार कुडोपा)

<u>दा0प्र0क0-649/07</u> संस्था0दि0 30/07/05

मध्य प्रदेश शासन द्धारा आरक्षी केन्द्र, थाना बोरदेही, जिला बैतूल (म०प्र०)

----अभियोजन

—: विरुद्ध :—

- 1. डेबा उर्फ करीम पिता उस्मान, उम्र 30 वर्ष, जाति मुस0, पेशा मजदूरी, निवासी खेड़लीबाजार,
- बल्लू पिता साबू, उम्र 24 वर्ष, जाति कहार, पेशा मजदूरी, नि0ग्राम खेड़ली बाजार ढीमर मोहल्ला,
- भोला पिता साबलाल, उम्र 30 वर्ष, जाति मेहरा, (फरार) पेशा मजदूरी, नि0ग्राम खेडलीबाजार, उक्त सभी:—थाना बोरदेही, जिला बैतूल (म0प्र0)

---- अभियुक्तगण

<u>—: निर्णय :—</u> (आज दिनांक—23 / 07 / 2016 को घोषित)

- 1— अभियुक्तगण के विरुद्ध भा०दं०वि० की धारा 452,294,323 / 34 (दो बार), 427, 506 भाग—2 के तहत् अभियोग है कि दिनांक 10.06.05 को थाना बोरदेही की पिरसीमा ग्राम खेड़ली बाजार में प्रार्थी रामू को देशी मंदिरा दुकान में उनका उपहित कारित करने के तैयारी के पश्चात् गृह अतिचार कारित किया और प्रार्थी को अश्लील शब्द उच्चारित कर क्षोभ कारित कर जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया और प्रार्थी की दुकान पर तोडफोड कर रिष्टि कारित की एवं प्रार्थी रामू व आहत दद्दु को हाथ मुक्का से मारपीट कर स्वेच्छया उपहित कारित की।
- 2— अभियोजन का मामला संक्षेप में इस प्रकार है कि फरियादी खेड़ली बाजार देशी मदिरा दुकान पर सेल्समेन का काम मजदूरी पर करता है। देशी मदिरा दुकान पर दद्दु कलार भी रहता है। दिनांक 10.06.05 दिन शुक्रवार की रात करीबन 10 बजे शराब दुकान बंद करके घर जाने की लगा था कि दुकान के अंदर डेबा मुसलमान हाथ में लाठी लेकर एवं बल्लू, गोला लाठी लेकर घुस गये, तीनों ने उसे एवं दद्दु कहार को माँ बहन की बुरी—बुरी गालियाँ दिया, डेबा बोला कि मादर चोद तूने उसके घर शराब पकड़वाने पुलिस को भेजते हो और डेबा ने लाठी से दद्दु को

मारा एवं भोला एवं बल्लू ने शराब की बोतले उठा कर बाहर फेंकने लगे तो भोला एवं बल्लु ने हाथ मुक्के से मारपीट किया और तीनों बोले की मादर चोद तुम दोनों यहां से दुकान छोड़कर चले जाना नहीं तो जान से मारकर फेंक देगें और तीनों भाग गये। रात होने के कारण कोई साथ नहीं होने से थाना पर रिपोर्ट करने नहीं आ सके। झगडा मारपीट करते लक्ष्मण मेहरा एवं लिलत झरवडे सुरेश डडोरे ने देखा है करीब 500 / —रूपये का शराब बोतले फूटने से नुकसान हुआ है।

- 3— प्रथम सूचना रिपोर्ट रिपोर्ट तैयार कर किया गया है। जिसके आधार पर अभियुक्तगण के विरुद्ध अप०कं0—115/05 भा.द.सं धारा—451, 294, 323, 427,506,34 के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। दिनांक 13/06/05 को नक्शा मौका प्र0पी0 1 तैयार किया गया। दिनांक 12/06/05, 20/06/05 को सम्पत्ति जप्ती पत्रक प्र0पी0 03 व 04 तैयार किया गया। नुकसानी पंचनामा प्र0पी0 2 तैयार किया गया। साक्षियों के कथन उनके बताये अनुसार लेख किये गये। दिनांक 30/06/05 को अभियुक्तगण को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक प्र0पी0 5 एवं प्र0पी0 06 तैयार किया गया। विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया।
- 4— अभियुक्त के विरूद्ध धारा 313 दं.प्र.सं. के अंतर्गत अभियुक्त का अभियुक्त परीक्षण किया गया। अभियुक्त ने अपने अभियुक्त परीक्षण में बताया कि वह निर्दोष है उन्हें प्रकरण में झूठा फंसाया गया है। अभियुक्त कथन के दौरान बचाव पक्ष ने प्रकरण में कोई बचाव साक्ष्य न देना व्यक्त किया।

5— : न्यायालय के समक्ष यह विचारणीय प्रश्न यह है कि :--

- 1— ''क्या दिनांक दिनांक 10.06.05 को थाना बोरदेही की परिसीमा ग्राम खेड़लीबाजार में प्रार्थी रामू को देशी मंदिरा दुकान में उनका उपहित कारित करने के तैयारी के पश्चात् गृह अतिचार कारित किया?
- 2— ''उक्त दिनांक समय व स्थान पर प्रार्थी को अश्लील शब्द उच्चारित कर क्षोभ कारित किया?
- 3— ''उक्त दिनांक समय व स्थान पर प्रार्थी को जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया
- 4— ''उक्त दिनांक समय व स्थान पर प्रार्थी की दुकान पर तोडफोड कर रिष्टि कारित की।
- 5— ''उक्त दिनांक समय व स्थान पर प्रार्थी रामू व आहत दद्दु को हाथ मुक्का से मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित की?

—ः <u>निष्कर्ष एवं उसके आधार</u>ः— विचारणीय प्रश्न क0 1,2,3,4,5 का निराकरण

6— अभियोजन साक्षी एस०डी० राजपूत (अ०सा० ०1) ने अपनी साक्ष्य में बताया है कि दिनांक 13/06/05 को थाना प्रभारी बोरदेही द्वारा प्रथम सूचना क्रमांक 115/05 अंतर्गत धारा 452,294,506,323,34, 427 भा0द0स0 की केश डायरी विवेचना हेतु सौंपे जाने पर उसने उक्त दिनांक को फरियादी रामू की निशादेही पर घटना स्थल जाकर गवाह लक्ष्मण एवं सुरेश के समक्ष घटना स्थल का नजरी नक्शा प्र0पी0 1 तैयार किया था जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है।

- 7— आगे इस गवाह ने बताया है कि उसने उक्त दिनांक को ही साक्षी लक्ष्मण एवं सुरेश के समक्ष नुकसानी पंचनामा प्र0पी0 2 तैयार किया था जिसमें 5 सौ रूपये का नुकसान होना पाया था, नुकसानी पंचनामा प्र0पी0 2 के ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। उसने उक्त दिनांक को ही फरियादी रामू नागले द्वारा देशी मदिरा के बोतल के छोटे बड़े कांच के टुकड़े एवं बोरी के अंदर रखे गये उसके द्वारा पेश करने पर गवाह लक्ष्मण एवं प्रेमलाल के समक्ष जप्त किया था जो जप्ती पत्रक प्र0पी0 3 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है।
- 8— आगे इस गवाह ने बताया है कि उक्त दिनांक को ही फरियादी रामू के कथन उसके बताये अनुसार लेखबद्ध किये थे उसने उसके मन से कुछ घटाया बढाया नहीं था। उसने दिनांक 17/06/05 को साक्षी लक्ष्मण, लिलत, सुरेश के कथन उनके बताये अनुसार लिये थे उसने उसके मन से कुछ घटाया बढाया नहीं था। उसने दिनांक 26/06/05 साक्षी दद्दु उर्फ किसन के कथन उनके बताए अनुसार लिये थे उसने उसके मन से कुछ घटाया व बढाया नहीं था।
- आगे इस गवाह ने बताया है कि दिनांक 30 / 06 / 05 को आरोपी डेबा उर्फ करीम से साक्षी कैलाश एवं शिवदयाल के समक्ष एक बांस की पतली लाठी जप्ती पत्रक प्र0पी0 4 के अनुसार जप्त किया था जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। उक्त दिनांक को आरोपी डेबा उर्फ करीम आरोपी बल्लू आरोपी भोला को साक्षी शिवदयाल एवं दिनेश के समक्ष गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक प्र0पी0 5, 6 तैयार किया था। यह गवाह विवेचना अधिकारी है। घटना का प्रत्यक्षदर्शी साक्षी नहीं हैं। साथ ही इस प्रकरण में आदेश पत्रिका दिनांक 19/07/16 को साक्षी रामू जो कि फरियादी है। साक्षी सुरेश और दद्दु स्वतंत्र साक्षी है उक्त साक्षीयों को उक्त दिनांक को ही अदम पता घोषित किया गया है जबकि प्रकरण में फरियादी ही घटना के संबंध में सही तथ्यों को स्पष्ट कर सकता है कि उसकी दुकान में उपहति कारित करने की तैयारी के पश्चात् किस अभियुक्तगण के द्वारा गृह अतिचार कारित किया गया, किस अभियुक्तगण ने अश्लील शब्द उच्चारित कर क्षोभ कारित किया, किस अभियुक्तगण ने जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया, किस अभियुक्तगण के द्वारा रिष्टि कारित की गई और किस अभियुक्तगण ने मारपीट कर स्वेच्छया साधारण उपहति कारित की। ऐसी परिस्थिति में विवेचना अधिकारी के द्वारा की गई कार्यवाही संदेहास्पद होकर विश्वसनीय प्रतीत नहीं होती है।
- 10— अभियोजन साक्षी लक्ष्मण (अ.सा.२) ने अपनी मुख्य परीक्षा, सूचक प्रश्न में घटना घटित होने तथ्यों का समर्थन नहीं किया है।
- 11— उर्पयुक्त किए गए साक्ष्य एवं विश्लेषण से यह स्पष्ट नहीं है कि अभियुक्तगण ने प्रार्थी रामू को देशी मंदिरा दुकान में उनको उपहित कारित करने के तैयारी के पश्चात् गृह अतिचार कारित किया। यह भी स्पष्ट नहीं है कि अभियुक्तगण ने प्रार्थी को अश्लील शब्द उच्चारित कर क्षोभ कारित किया। यह भी स्पष्ट नहीं है कि अभियुक्तगण ने प्रार्थी को जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित

किया। यह भी स्पष्ट नहीं है कि अभियुक्तगण ने प्रार्थी की दुकान पर तोड़फोड़ कर रिष्टि कारित की। यह भी स्पष्ट नहीं है कि अभियुक्तगण ने प्रार्थी रामू व आहत दद्दु को हाथ मुक्का से मारपीट कर स्वेच्छया उपहित कारित की। इस प्रकार विचारणीय प्रश्न कं. 1,2,3,4,5 का निराकरण "अप्रमाणित" रूप से किया जाता है।

12— उर्पयुक्त अभियोजन पक्ष के द्धारा प्रस्तुत साक्ष्य से युक्ति—युक्त संदेह से परे यह प्रमाणित नहीं है कि अभियुक्तगण ने प्रार्थी रामू को देशी मंदिरा दुकान में उनको उपहित कारित करने के तैयारी के पश्चात् गृह अतिचार कारित किया। उर्पयुक्त अभियोजन पक्ष के द्धारा प्रस्तुत साक्ष्य से युक्ति—युक्त संदेह से परे यह प्रमाणित नहीं है कि अभियुक्तगण ने प्रार्थी को अश्लील शब्द उच्चारित कर क्षोभ कारित करित किया। उर्पयुक्त अभियोजन पक्ष के द्धारा प्रस्तुत साक्ष्य से युक्ति—युक्त संदेह से परे यह प्रमाणित नहीं है कि अभियुक्तगण ने प्रार्थी को जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया। उर्पयुक्त अभियोजन पक्ष के द्धारा प्रस्तुत साक्ष्य से युक्ति—युक्त संदेह से परे यह प्रमाणित नहीं है कि अभियुक्तगण ने प्रार्थी की दुकान पर तोड़ फोड़ कर रिष्टि कारित की। उर्पयुक्त अभियोजन पक्ष केद्वारा प्रस्तुत साक्ष्य से युक्ति—युक्त संदेह से परे यह भी प्रमाणित नहीं है कि अभियुक्तगण ने प्रार्थी की दुकान पर तोड़ फोड़ कर रिष्टि कारित की। उर्पयुक्त अभियोजन पक्ष केद्वारा प्रस्तुत साक्ष्य से युक्ति—युक्त संदेह से परे यह भी प्रमाणित नहीं है कि अभियुक्तगण ने प्रार्थी रामू व आहत दद्दु को हाथ मुक्का से मारपीट कर स्वेच्छ्या उपहित कारित की। इस प्रकार अभियुक्तगण डेबा उर्फ करीम, बल्लू उर्फ बलवंत को भा0द0वि० की धारा—452, 294, 323/34(दो बार), 427, 506 भाग—2 के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

13— प्रकरण में आरोपीगण डेबा उर्फ करीम एवं बल्लु उर्फ बलवंत के जमानत मुचलके भारमुक्त किए जाते हैं। उक्त आरोपीगण का धारा 428 द0प्र0सं0 का प्रमाण पत्र तैयार किया जावे।

14— प्रकरण में आरोपी भोलाराम फरार है अतः प्रकरण नष्ट न किया जावे। प्रकरण के टाईटल पेज पर लाल स्याही से उक्त टीप अंकित की जावे। निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित एवं मेरे बोलने पर टंकित। दिनांकित कर घोषित किया गया।

(धनकुमार कुड़ोपा) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी आमला, जिला बैतूल म0प्र0

(धनकुमार कुड़ोपा) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी आमला, जिला बैतूल म०प्र०